

CURRENT AFFAIRS

NEWS FOR

UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

23 Jan. 2025


ABHAY SIR



- ❖ **Topic 1:-** भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे पृथ्वी की निगरानी
- ❖ **Topic 2:-** गुइलेन बैरे सिड्रोम : एक दुर्लभ और गंभीरन्यूरोलॉजिकल विकार
- ❖ **Topic 3:-** महाकुंभ और एनजीटी के सवाल
- ❖ **Topic 4:-** केसलर सिड्रोम: अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का खतरा
- ❖ **Topic 5:-** राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025: प्रमुख बिंदु
- ❖ **Topic 6:-** डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA) योजना



भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे पृथ्वी की निगरानी



❖ निसार मिशन (NISAR Mission)

- ❖ निसार (NISAR - NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) मिशन नासा (NASA) और इसरो (ISRO) के बीच एक संयुक्त उपग्रह परियोजना है।
- ❖ यह पृथ्वी के पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, और जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ❖ यह मिशन धरती की सतह के परिवर्तनों और आपदाओं पर नजर रखेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नासा और भारत का नया उपग्रह 'निसार' करेगा आसमान से पृथ्वी की निगरानी

'निसार' भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की गति पर नजर रखेगा तथा जंगलों की वृद्धि और पेड़ों के काटे जाने सहित पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा।

Source:– Down To Earth



❖ मुख्य विशेषताएं :

1. संपूर्ण नाम:

❖ NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)

2. साझेदारी:

❖ NASA (अमेरिका)

❖ ISRO (भारत)

3. लॉन्च वर्ष:


❖ यह उपग्रह फरवरी 2024 में लॉन्च होने की योजना में है।

4. लॉन्च स्थल:

❖ श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश (भारत)

5. प्रक्षेपण यान:

❖ GSLV Mk-II (ISRO का प्रक्षेपण यान)



❖ उद्देश्य:

1. पृथ्वी की निगरानी:

- ❖ पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों जैसे भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने, और समुद्र के स्तर में बदलाव की जानकारी जुटाना ।

2. प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन:

- ❖ बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं का अध्ययन करना और उनके प्रभावों को कम करने में मदद करना ।

3. जलवायु परिवर्तन:

- ❖ जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों की निगरानी करना ।

4. सटीक डेटा संग्रह:

- ❖ कृषि, वनों की कटाई, और तटीय परिवर्तनों का अध्ययन करना ।



❖ **प्रमुख तकनीक:**

❖ **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):**

❖ यह एक उन्नत रडार प्रणाली है, जो दिन और रात, दोनों में काम कर सकती है और बादलों के पार भी पृथ्वी की सतह की तस्वीरें ले सकती है।

❖ **ड्यूल फ्रिक्वेंसी रडार:**

❖ निसार दुनिया का पहला उपग्रह होगा जिसमें L-बैंड और S-बैंड रडार का उपयोग किया जाएगा।

❖ **L-बैंड (NASA):** गहरी मिट्टी और वनस्पतियों का अध्ययन।

❖ **S-बैंड (ISRO):** सतही परिवर्तनों और संरचनात्मक बदलावों का अध्ययन।



❖ महत्व:

1. वैश्विक सहयोग:

❖ यह भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है।

2. आपदा प्रबंधन:


❖ यह मिशन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सटीक और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

3. कृषि और जल प्रबंधन:

❖ खेती और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा।


4. पर्यावरण संरक्षण:

❖ वनों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में सहायता करेगा।



❖ नासा (nasa):-

- ❖ नासा (national aeronautics and space administration) अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रहों की खोज, और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है।
- ❖ **स्थापना:** 29 जुलाई 1958
- ❖ **मुख्यालय:** वाशिंगटन डीसी, अमेरिका
- ❖ **प्रमुख मिशन:** अपोलो मून मिशन, मार्स रोवर मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप आदि।
- ❖ अगर यूपीएससी परीक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (science & technology) से जुड़े विषय आते हैं, तो नासा के मिशनों, उपलब्धियों और वैज्ञानिक अनुसंधानों की जानकारी उपयोगी हो सकती है।



गुइलेन बैरे सिड्रोम : एक दुर्लभ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार



❖ गुइलेन बैरे सिंड्रोम (Guillain-Barré Syndrome, GBS) एक दुर्लभ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके शरीर की तंत्रिकाओं पर हमला करती है।

❖ यह समस्या अक्सर किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, सर्जरी, या टीकाकरण के बाद विकसित होती है।

❖ **लक्षण:**

1. **मांसपेशियों की कमजोरी:** यह आमतौर पर पैरों से शुरू होती है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर फैलती है।

2. **झुनझुनी और सुन्नता:** हाथों और पैरों में झुनझुनी या चुभन महसूस हो सकती है।

स्वास्थ्य

क्या होता है गुइलेन बैरे सिंड्रोम, पुणे में पाए गए 26 मामले?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है।

Source :- Down To Earth



3. **सांस लेने में कठिनाई:** गंभीर मामलों में, सांस लेने के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है।


4. **रिफ्लेक्स में कमी:** शरीर के सामान्य रिफ्लेक्स कमजोर या गायब हो जाते हैं।

5. **चलने या खड़े होने में कठिनाई:** मांसपेशियों की कमजोरी के कारण।

6. हृदय गति और रक्तचाप में असामान्यताएं।

❖ **कारण:**

❖ गुइलेन बैरे सिंड्रोम का सही कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया से संबंधित है। यह प्रतिक्रिया सामान्य तंत्रिका कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है।



❖ **संक्रमण:** जठरांत्र संक्रमण (Campylobacter jejuni), फ्लू, या अन्य वायरल बीमारियों के बाद।

❖ **टीकाकरण:** दुर्लभ मामलों में कुछ टीकों के बाद।

❖ **प्रकार:**

1. **Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (AIDP):** सबसे आम प्रकार।

2. **Miller Fisher Syndrome (MFS):** जिसमें आंख की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं।

3. **Acute Motor Axonal Neuropathy (AMAN):** मुख्य रूप से मोटर नसों को प्रभावित करता है।




❖ निदान:

1. न्यूरोलॉजिकल परीक्षण: कमजोरी और रिफ्लेक्स की जांच।
2. स्पाइनल टैप (Lumbar Puncture): सीएसएफ में प्रोटीन स्तर की जांच।
3. नर्व कंडक्शन स्टडी और ईएमजी: नसों की कार्यक्षमता की जांच।

❖ उपचार:

1. इम्यूनोथेरेपी:
 - ❖ प्लाज्मा एक्सचेंज (Plasmapheresis): रक्त से एंटीबॉडी हटाने के लिए।
 - ❖ इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी (IVIG): प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने के लिए।



2. सपोर्टिव केयर:

- ❖ सांस लेने में सहायता ।
- ❖ फिजियोथेरेपी और पुनर्वास ।

3. दर्द प्रबंधन: दर्द को नियंत्रित करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं ।

❖ रिकवरी:

- ❖ रिकवरी धीमी हो सकती है और इसमें कुछ सप्ताह से लेकर कई महीने या साल लग सकते हैं ।
- ❖ अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में स्थायी कमजोरी रह सकती है ।



महाकुंभ और एनजीटी के सवाल

❖ यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

1. प्रीलिम्स:

❖ एनजीटी के गठन, अधिकार और संरचना से संबंधित सवाल ।

2. मेंस (GS-3):

❖ पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े उत्तरों में एनजीटी का उल्लेख करें ।

3. निबंध:

❖ "पर्यावरण संरक्षण में एनजीटी की भूमिका" जैसे विषय ।

**महाकुंभ : एनजीटी ने पूछा अचानक
कहां गायब हो गया 14 लाख टन कचरा?**

एनजीटी ने नगर निगम से पूछा कि गंगा के किनारों से रोज कचरा निकल रहा है, लेकिन इस कचरे का हिसाब-किताब कहां है?

Source :- DOWN TO EARTH



❖ प्रयागराज महाकुंभ 2025 और कचरा प्रबंधन पर एनजीटी सुनवाई के प्रमुख बिंदु:

1. मौनी अमावस्या स्नान और भीड़:

- ❖ 29 जनवरी, 2025 को मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद।
- ❖ ज्यादा कचरा और सीवेज का प्रबंधन बड़ी चुनौती।

2. एनजीटी की सुनवाई (20 जनवरी 2025):

- ❖ चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सुनवाई।
- ❖ प्रयागराज नगर निगम के कचरा प्रबंधन पर सवाल।



3. लीगेसी वेस्ट (पुराना कचरा) पर सवाल:

- ❖ छह महीने पहले लाखों टन कचरे का ढेर देखा गया था ।
- ❖ नगर निगम ने दावा किया कि 14 लाख टन कचरा निपटाया गया ।
- ❖ एनजीटी ने पूछा: "इतना कचरा इतने कम समय में कैसे निपटाया गया?"

4. सीमेंट कंपनियों का उल्लेख:

- ❖ नगर निगम ने कहा कि कचरे को सीमेंट कंपनियों को दिया गया ।
- ❖ एनजीटी ने कंपनियों के नाम और प्रक्रिया की जानकारी मांगी ।



5. अनुत्तरित सवाल:

- ❖ रोजाना पैदा होने वाले कचरे का हिसाब ।
- ❖ स्थायी कल्पवासियों और गंगा किनारे से निकलने वाले कचरे का डेटा ।

6. एनजीटी की टिप्पणी:

- ❖ नगर निगम के जवाब को "अस्पष्ट" बताया ।
- ❖ कचरा प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल ।

7. आगामी निर्देश:

- ❖ नगर निगम को सभी सवालों पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश ।
- ❖ अगली सुनवाई में स्पष्ट जानकारी की मांग ।



❖ एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) यूपीएससी परीक्षा के पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environment and Ecology) विषय के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनजीटी भारत में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वनों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए स्थापित एक विशेष न्यायाधिकरण है।

❖ एनजीटी का परिचय

1. स्थापना:

❖ एनजीटी की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के तहत की थी।



2. उद्देश्य:

- ❖ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना ।
- ❖ प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण ।
- ❖ प्रदूषण से संबंधित विवादों का त्वरित समाधान ।
- ❖ पर्यावरणीय कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना ।

3. मुख्यालय:

- ❖ एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है ।
- ❖ इसके अलावा चार क्षेत्रीय बेंच हैं:
- ❖ भोपाल
- ❖ पुणे
- ❖ कोलकाता
- ❖ चेन्नई



4. संरचना:

❖ इसमें एक अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश) और अन्य न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।

❖ एनजीटी के कार्य और अधिकार

1. मामलों की सुनवाई:

- ❖ वायु, जल, भूमि, वनों और जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े मामले।
- ❖ प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति से जुड़े विवाद।
- ❖ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की अनदेखी से जुड़े मामले।



2. अधिकारिता:

- ❖ एनजीटी को सिविल मामलों में पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष अधिकार दिए गए हैं।
- ❖ यह सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के फैसलों की समीक्षा कर सकता है।

3. दंड और जुर्माना:

- ❖ एनजीटी दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं पर जुर्माना लगा सकता है।
- ❖ इसकी सिफारिशों का पालन करना अनिवार्य है।



❖ एनजीटी के महत्व

1. पर्यावरण संरक्षण में योगदान:

- ❖ त्वरित और प्रभावी निर्णय ।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को बढ़ावा देना ।

2. जल्दी न्याय प्रक्रिया:

- ❖ अन्य अदालतों की तुलना में यह तेजी से निर्णय लेता है ।

3. सतत विकास:

- ❖ विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है ।



❖ चुनौतियां

1. अपर्याप्त संसाधन : कर्मचारियों और विशेषज्ञों की कमी ।
2. अधिकार क्षेत्र की सीमाएं : कुछ मामलों में राज्यों की निष्क्रियता ।
3. निर्णय का अनुपालन : एनजीटी के फैसलों को लागू करने में दिक्कत ।





केसलर सिंड्रोम: अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का खतरा

1. केसलर सिंड्रोम की परिभाषा:

- ❖ यह एक सैद्धांतिक परिदृश्य है जिसमें एक टकराव से उत्पन्न मलबा अन्य टकरावों को ट्रिगर करता है, जिससे अंतरिक्ष में कचरे का एक घातक चक्र बनता है।
- ❖ परिणामस्वरूप, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह संचालन और अंतरिक्ष अन्वेषण असंभव हो सकता है।

2. प्रमुख चिंताएं:

- ❖ पृथ्वी की निचली कक्षा में 47,000 से अधिक ट्रेक की गई वस्तुएं और अनगिनत छोटे टुकड़े तैर रहे हैं।
- ❖ छोटे मलबे के टुकड़े भी तेज गति से चलने के कारण भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- ❖ संचार, जीपीएस, और मौसम पूर्वानुमान जैसे उद्योगों पर गंभीर प्रभाव।



3. हालिया घटनाएं:

- ❖ 2009 में रूसी और अमेरिकी उपग्रहों की टक्कर से 2,000 से अधिक मलबे के टुकड़े बने।
- ❖ रूस, भारत और चीन द्वारा एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षणों ने मलबे की समस्या बढ़ा दी।
- ❖ नासा का मौसम उपग्रह एक रूसी रॉकेट से टकराने से बाल-बाल बचा।

4. पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) का जोखिम:

- ❖ यह सबसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जिसमें ISS, हजारों उपग्रह और स्पेसएक्स का स्टारलिक नेटवर्क शामिल हैं।
- ❖ 500 मील से अधिक ऊंचाई पर, मलबा सदियों तक बना रह सकता है।



5. समाधान:

- ❖ मलबा हटाने के लिए नई तकनीकें: जाल, हार्पून, और लेजर ।
 - ❖ अमेरिका जैसे देशों ने सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं, जिनमें मिशन के 25 साल बाद उपग्रहों को कक्षा से हटाना शामिल है ।
 - ❖ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियमों की आवश्यकता ।
- ❖ **अंतरिक्ष मलबा (Space Debris):**
- ❖ अंतरिक्ष मलबा मानव निर्मित वस्तुओं के बचे हुए टुकड़े हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हैं । इनमें निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के हिस्से, पुराने मिशनों से टूटे हुए टुकड़े और माइक्रोमीटर आकार के कण शामिल हैं । ये मलबे तेज गति से यात्रा करते हैं, जिससे वे सक्रिय अंतरिक्ष यान, उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं ।



❖ खतरे

1. उपग्रहों को नुकसान:

- ❖ अंतरिक्ष मलबा सक्रिय उपग्रहों से टकरा सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बंद हो सकती है।

2. मानव जीवन का खतरा:

- ❖ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मौजूद अंतरिक्ष यानियों के लिए मलबा टकराने का खतरा रहता है।

3. संचार व्यवधान:

- ❖ मलबा उपग्रहों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिससे जीपीएस, इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं बाधित हो सकती हैं।



4. कैस्केडिंग प्रभाव (Kessler Syndrome):

❖ एक टकराव से पैदा हुआ मलबा अन्य टकरावों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में मलबा इतनी मात्रा में हो सकता है कि अंतरिक्ष का उपयोग असंभव हो जाए।


❖ समाधान

1. अंतरिक्ष मलबे को हटाना (Active Debris Removal):

❖ **लेजर तकनीक:** शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग करके मलबे को पृथ्वी के वायुमंडल में गिराया जा सकता है।

❖ **हरपून और जाल:** मलबे को पकड़ने के लिए जाल या हरपून का उपयोग।

❖ **ड्रैग सेल्स:** मलबे पर विशेष उपकरण लगाकर उनकी गति धीमी करना।



2. सतत डिजाइन:

- ❖ अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को इस तरह से डिजाइन करना कि वे मिशन के अंत में खुद को नष्ट कर सकें।

3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- ❖ अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा नियम और कानून बनाना।
- ❖ UN's Outer Space Treaty और अन्य संधियों को सख्ती से लागू करना।

4. निगरानी और चेतावनी प्रणाली:

- ❖ अंतरिक्ष मलबे का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग।
- ❖ संभावित टकराव से बचने के लिए उपग्रहों को नई कक्षाओं में स्थानांतरित करना।

5. पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग:

- ❖ अंतरिक्ष में निष्क्रिय वस्तुओं का पुनः उपयोग करने की तकनीक विकसित करना।



राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025: प्रमुख बिंदु



❖ उद्देश्य:

❖ जनजातीय समुदायों की विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान ।

❖ आयोजन:

❖ आयोजक: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ।

❖ अभियान: 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत ।

❖ जनजातीय स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

1. भौगोलिक दूरी:

❖ पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कठिनाई ।



2. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:

- ❖ स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी, निदान में देरी और अनुचित उपचार ।

3. भाषा बाधाएं:

- ❖ देशी भाषाओं में स्वास्थ्य जानकारी की सीमित पहुंच ।

4. सांस्कृतिक संवेदनशीलता:

- ❖ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार न करने से अविश्वास ।



❖ उठाए जाने वाले कदम:

1. स्वास्थ्य सेवा का विस्तार:

❖ टेलीमेडिसिन और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का उपयोग ।

2. संवेदनशील और समावेशी मॉडल:

❖ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का सम्मान और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करना ।

3. लक्षित हस्तक्षेप:

❖ कुपोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, दुर्लभ बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ।



- ❖ नीति निर्देश:
- ❖ सम्मान: जनजातीय संस्कृति का ।
- ❖ प्रासंगिकता: जनजातीय समुदायों के लिए ।
- ❖ पारस्परिकता: सीखने और साझा करने की प्रक्रिया ।
- ❖ जिम्मेदारी: जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का प्रयास ।



डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA) योजना

❖ लक्ष्य:

- ❖ MSME हीरा निर्यातकों को समर्थन देना ।
- ❖ रोजगार सृजन करना ।
- ❖ घरेलू उद्योग की सुरक्षा ।
- ❖ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ।

❖ योजना की विशेषताएं:

1. विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत पेश की गई ।
2. 4 कैरेट (25 सेंट) से कम वजन के नैचुरल कट और पॉलिश किए गए हीरों का शुल्क मुक्त आयात ।
3. निर्यात दायित्व: 10% मूल्य संवर्धन के साथ अनिवार्य ।



4. पालता:

- ❖ दो सितारा या उससे ऊपर का एक्सपोर्ट हाउस ।
- ❖ प्रति वर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात ।

5. लागू नहीं: प्रयोगशाला में तैयार हीरों (LGDs) पर ।

6. करों से छूट:

- ❖ मूल सीमा शुल्क
- ❖ अतिरिक्त सीमा शुल्क
- ❖ शिक्षा उपकर
- ❖ एंटी-डंपिंग शुल्क
- ❖ प्रतिपूरक शुल्क



❖ हीरा उद्योग की चुनौतियां:

1. वैश्विक:

- ❖ अमेरिका, चीन और यूरोप में मांग में गिरावट ।
- ❖ उपभोक्ताओं का रुझान LGDs की ओर ।

2. आंतरिक:

- ❖ पॉलिश किए गए हीरों का बड़ा स्टॉक अविकसित ।
- ❖ परिचालन लागत में वृद्धि ।
- ❖ उच्च कॉर्पोरेट कर और कम ऋण ।
- ❖ वैश्विक व्यापार में मार्जिन कम ।



❖ आगे की राह:

1. निर्यात ऋण अवधि का विस्तार ।
2. विदेशी कच्चे हीरा विक्रेताओं को कर छूट ।
3. प्रयोगशाला में तैयार हीरों के लिए उचित विनियमन ।
4. रोजगार और निर्यात संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं ।



THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra

